न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 03/2021

प्रार्थीया :–

1. रतनी देवी पत्नी स्व. भूराराम जाति मेघवाल नि0 मेघवालों का बास, सियाट, तह0 सोजत, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. डूंगाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल नि0 मेघवालों का बास, सियाट, तह0 सोजत, जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :–

01. प्रार्थीया एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 22/03/22

प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया कि प्रार्थीया ग्राम सियाट तह0 सोजत की निवासी तथा काफी वृद्धावस्था है। जिसकी वर्तमान उम्र 75 वर्ष है, जो अक्सर वृद्धावस्था के कारण बीमार रहती है। अप्रार्थी प्रार्थीया का जायन्दा पुत्र है इसके अलावा प्रार्थीया के एक जाईन्दा पुत्र राजुराम है तथा पुत्र राजुराम जो कि ग्राम सियाट में ही अपने हक हिस्से में आये मकान में निवास करता है। उसके द्वारा ही हमेशा प्रार्थीया का भरण पोषण, चिकित्सा इत्सादि की जा रही है तथा अप्रार्थी हमेशा अपने विधिक दायित्वों से विमुख रहा है। प्रार्थीया ने अपने स्वयं के खर्चे से मजदूरी, खेतीबाड़ी कर अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण करती आयी हैं, तथा प्रार्थीया ने अपने पुत्रों की बाल्यकाल अवस्था से लेकर भरण पोषण, विवाह शादी भी करवाई तथा खाने कमाने हेतु उनके पैरों पर खड़ा किया । प्रार्थीया ने अप्रार्थी एवं अन्य पुत्र राजुराम के समस्त सामाजिक दायित्वों का पूर्णतः निवर्हन किया है। वर्तमान में अप्रार्थी पूर्णतः खाने कमाने हेतु सक्षम है तथा अप्रार्थी वर्तमान में मजदूरी एवं व्यवसाय करता है। अप्रार्थी एवं उसकी पत्नी हमेशा घर में मांस मदिरा की पार्टी करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीया का इनके साथ रहना बहुत ही दुर्भर हो चुका है तथा कभी अप्रार्थी एवं उसकी पत्नी प्रार्थीया की किसी प्रकार की सेवा चाकरी इत्यादि नहीं करते है तथा हमेशा प्रार्थीया को तंग परेशान करते है। प्रार्थीया के साथ मारपीट करते रहते है। जिस पर कई बार सामाजिक स्तर पर समझाईश का प्रयास किया गया परन्तु हर प्रयास असफल रहा हैं। अप्रार्थी का यह विधिक एवं नैतिक दायित्व है कि वह प्रार्थीया जो कि अप्रार्थी की माता है, जो वृद्धावस्था एवं विधवा है तथा वृद्धावस्था में होने से अक्सर बीमार रहती है। जिसका भरण पोषण, सेवा चिकित्सा अन्य सामाजिक दायित्वों का निवर्हन करे। बल्कि अप्रार्थी अपने वक्त विधिक एवं नैतिक कर्तव्यों के निवर्हन से मुकर रहा है तथा आज से करीब 15 दिन पूर्व अप्रार्थी एवं उसकी पत्नी ने प्रार्थीया के साथ मारपीट की तथा प्रार्थीया की सोने की कंठी, बैंक डायरी, आधार कार्ड इत्यादि छीन कर ले लिये तथा प्रार्थीया के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तब से प्रार्थीया अपने दूसरे पुत्र के साथ निवास कर रही हैं तथा अप्रार्थी ने पूर्व में भी प्रार्थीया के 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये राशि हड़प कर ली है तथा मेरे पति का पट्टासुदा मकान जो सियाट में आया हुआ स्थित है, जिसके पट्टा नंबर 5 हैं। जिस पट्टासुदा मकान से भी प्रार्थीया को बाहर निकाल दिया है। अप्रार्थी प्रार्थीया का जाईन्दा पुत्र है तथा अप्रार्थी प्रतिमाह 20–25 हजार रूपये आसानी से कमा लेता है। लेकिन प्रार्थीया के पास अपनी स्वयं की आय का कोई पर्याप्त साधन नहीं है। अप्रार्थी अपने उक्त सामाजिक दायित्वो के निवर्हन नहीं करने के उद्देश्य से प्रार्थीया के साथ आये दिन गाली गलोच एवं मारपीट कर प्रार्थीया को उक्त पैतृक

उप खण्ड अधिकारी सोजत

मकान से बेदखल करने की धमकियां देता रहता है। अप्राथी प्रार्थीया की किसी तरह से कोई सेवा, चाकरी, भरण पोषण इत्यादि नहीं कर रहा हैं। प्रार्थीया काफी वृद्ध व्यक्ति होने से उनके आय का स्त्रोत नहीं है तथा प्रार्थीया हर समय बीमार रहते है जिसकी सेवा चाकरी भी अप्रार्थी नहीं करता है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को कई बार सेवा चाकरी करने हेतु समाज के मौजिज व्यक्तियों से भी समझाईश करवाई लेकिन अप्रार्थी नहीं माना व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को मारपीट कर बेदखल करने को उतारू है। अप्रार्थी का दायित्व है कि अपने वृद्ध माता की सेवा चाकरी समय समय पर करे, उनके दवाई, पानी, कपड़ा लता आदि की व्यवस्था करना भी मुकरर्र होकर अपने परिवार को लेकर अलग रहने लग गये तथा प्रार्थीया को अपने साथ रखने से भी अप्रार्थी इन्कार कर दिया है व अप्रार्थी वृद्ध माता को अपने साथ रखने में शर्मिदंगी महसूस करते है। अप्रार्थी मजदूरी एवं व्यवसाय करता है तथा साथ ही कृषि भूमि भी है, जो प्रतिमाह 20–25 हजार रूपये आसानी से कमा लेता है। प्रार्थीया को अपने जीवन निर्वाह हेतु दवाई, पानी, कपड़े लते आदि के लिये माहवार 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये की आवश्यकता है। प्रार्थीया जईफ उम्र की वृद्ध होने से कई बीमारियों से ग्रसित रहते है, जो राशि अप्रार्थी से प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी हैं। प्रार्थीया को अपने भरण–पोषण, खाना–खुराक, कपड़े एवं चिकित्सा हेतु अप्रार्थी तमाम से कुल 10,000/– रू0 दिलाये जाने तथा उपरोक्त पैतृक मकान जिसमें प्रार्थिया अप्रार्थी के साथ निवास करती है उक्त मकान से अप्रार्थी प्रार्थीया को बेदखल नही किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। उपस्थित दिनांक 22.07.2021 को प्रार्थीया रतनी देवी तथा अप्रार्थी डूंगाराम तथा स्वतंत्र गवाह शान्ति देवी के बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सा0मि0 किये गये। दिनांक 30.09.2020 को अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश करना नहीं चाहने से जबाब दिनांक 30.09.2021 को बन्द किया गया।

उपस्थित उभयपक्षों अर्थात् प्रार्थीया एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि प्रार्थीया का उक्त मकान जो उसकी स्वअर्जित सम्पति है, जिसके समर्थन मे मालिकाना हक के दस्तावेज भी पेश किये है जो सामिल मिसल किया गया है। प्रार्थीया के पास वर्तमान में रहने का विकल्प नहीं है। पटटा संख्या 05 दिनांक 1909.1963 अनुसार प्रार्थीया के पति भूराराम का नाम दर्ज है। जिसमें ग्राम पंचायत सियाट के पटटा संख्या 38 दिनांक 07.02.2017 पर क0स0 01 रतनी देवी पत्नि भूराराम तथा 2 पर राजाराम पुत्र भूराराम मेघवाल सियाट नाम अंकित है। अप्रार्थी डूंगाराम के नाम का मकान/भूमि होने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। उपस्थित प्रार्थीया रतनी देवी तथा स्वतंत्र गवाह शांति देवी के कलमबद्ध किये गये बयानात् से प्रार्थीया के रहवासी मकान को अप्रार्थी से खाली किये जाने तथा बखूबी प्रमाणित होते है जिससे प्रार्थीया का वृद्ध एवं जईफ उम्र की मां का पालन पोषण हो सके आवश्यक है। अप्रार्थी ने अपने बयान के कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। जिससे प्रार्थीया का प्रस्तुत अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थिया के पास उक्त पटट्ा संख्या 38 दिनांक 07.02.2017 का ग्राम सियाट में स्थित पटटा सुदा मकान रहवास का एक मात्र स्वअर्जित मकान है पर अनधिकृत/अवैध रूप से किये गये अप्राथी द्वारा अनैतिक तरीके से किये गये कब्जे से बेदखल किया/हटाया जाकर प्रार्थीया को पुनः कब्जा जरिए पुलिस ईमदाद दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आए, जिन्होने अपने कथनो में कलमबद्ध किये गये बयान के समर्थन में कोई संतोषप्रद/ठोस प्रतिकार स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश करने में अप्रार्थी विफल रहे है।

वस्तुतः मुख्यतः संतान का अपने माता पिता की बुढापे में सेवासुश्रुषा करना प्राथमिक कर्तव्य बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया जो एक वृद्ध महिला है एवं विवादग्रस्त संम्पति जो कि उसके पति तथा स्वयं की स्वअर्जित सम्पति है जिस पर अप्रार्थी ने कब्जा कर रखा है। जिसके बाबत् प्रार्थीया अप्रार्थी को बेदखल कर पुनः कब्जा सुपुर्द करवाने की ईश्तदुआ की है। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं समस्त दस्तावेजात प्रार्थीया एवं अप्रार्थी को प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको

उप खण्ड अधिकारी

भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया की स्वयं की बीमारी का ईलाज भरण–पोषण रखरखाव आदि सेवा सुश्रुषा नहीं करता है तथापि उसके रहवासी स्वअर्जित मकान/भरण–पौषण के साधन ग्राम सियाट के बाजार में स्थित पटट्ा सुदा मकान पर संतान अर्थात पूत्र/पुत्रवधु द्वारा अनाधिकृत कब्जा करके वरिष्ठ परिजनों के भरण–पौषण/सेवा सुश्रुषा की स्वयं द्वारा व्यवस्था नहीं करते हुए प्रार्थिया के साथ मारपीट करते हुए जीवन निर्वाह में अवरोध की स्थिति पैदा की है। यद्धपि अधिनियम की धारा 23 में उपहार आदि में दिये गये सम्पतियों को भी अगर संताने अपने सेवा कर्तव्यों से विमुख हो जाये एवं दुर्व्यवहार करे तो न्यायालय को उक्त उपहार आदि के बाबत् किये गये निष्पादन को निरस्त करने का अधिकार है। तथापि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी ये साबित करने में विफल रहे है कि उक्त रहवासी मकान प्रार्थीया/पति द्वारा विवादग्रस्त मकान भी उनको प्रार्थीया ने उपहार स्वरूप दी हो। अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत/उद्धरण/नजीरे भी प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों तथा बहस के कथनों के समर्थन में उचित चस्पा होते है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थिया का प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थिया के स्वअर्जित उक्त पटटा संख्या 38 दिनांक 07.02.20217 के रहवासी सियाट बाजार में स्थित उक्त मकान पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत/अनैतिक/अवैधानिक रूप से किया कब्जा हटाकर प्रार्थिया को पुनः कब्जा दिलवाया जाने हेतु तहसीलदार, सोजत व थानाधिकारी सोजतरोड़ को अधिकृत कर (आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद प्रदान करें) कब्जा सुपुर्द किये जाने बाबत् आदेशित किया जाना तथा साथ ही उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, सोजत एवं थानाधिकारी पुलिस थाना–सोजतरोड़ को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया के स्वअर्जित उक्त पटटा संख्या 38 दिनांक 07.02.2017 में निर्मित ग्राम सियाट स्थित मकान पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत/अनैतिक/अवैधानिक रूप से किये गये कब्जा हटाकर प्रार्थिया को पुनः कब्जा दिलवाया जाने हेतु तहसीलदार, सोजत व थानाधिकारी सोजतरोड को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सोजत एवं थानाधिकारी सोजतरोड़ को उक्त मकान का (आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद) पुनः कब्जा सुपुर्द किये जाने बाबत् आदेशित किया जाता है। साथ ही उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, सोजत थानाधिकारी पुलिस थाना–सोजतरोड़ को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जावें, अर्थात् फर्द कब्जा सुपुर्दगी/प्राप्ति तहरीर/सत्यापित कर संयुक्त रूप से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/03/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत